


प्रपत्र-६

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प

- आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी पीपावास
य मूअनि कोरडी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमगर / नायब
तहसीलदार गिण्ड की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुराण में ग्राम पीपावास तहसील रेलमगर व
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2077 में खाता संख्या 03 में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं -

क्र.स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	पीपावास	03	नराजी पुत्र वेणा हिस्सा 1113 जाति - धलाई सा, डेह खातेदार	नराजी पुत्र वेणा हिस्सा 1113 जाति - स्मालवी सा - डेह खातेदार



उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत
रेलमगर

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, _____

क्रमांक-153
प्रतिलिपि -

दिनांक 3 OCT 2023

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
2. प्रार्थी श्री _____ का सूचनार्थ।
3. शक्ति पत्रावली।


पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत
रेलमगर

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, _____